

कुलसचिव

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी-02
दिनांक:- 15 जुलाई, 2015

निश्चय संख्या-02

कार्य परिषद् ने अपनी आपात बैठक दिनांक- 25.06.2015 के अध्यक्ष की अनुमति के
“बिन्दु संख्या-02” में अधोलिखित निर्णय लिया

विन्दु संख्या : 02- कार्य परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 07.05.2015 के विन्दु सं० 07 (वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.05.2015 के विन्दु सं० 09) के अंतर्गत प्रायोगिक शुल्क रू० 100-00 (रू० एक सौ मात्र) लिये जाने के निर्णय को स्थगित रखने के लिए कार्य परिषद् के कतिपय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव परिषद् के समक्ष विचार हेतु उठाया गया।

परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात् उक्त प्रायोगिक शुल्क को सत्र 2015-16 हेतु स्थगित (न लिये जाने) रखने का निर्णय लिया।

1
कुलसचिव

पत्रांक:- कु०स०-२सी०समिअ०/ 2623 /कार्य परि०बैठक-03-4/15

तद् दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा०कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/पाठ्यक्रम प्रभारी।
4. समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय- सोनभद्र, बलिया, सं०र०न०भदोही, मिर्जापुर, चन्दौली एवं वाराणसी।
5. उपकुलसचिव, सा०प्रशासन।
6. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि उक्त निर्णय को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

28
कुलसचिव